बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक–07 / प्र०–01(पें०)–75 / 2024– 3278 / पटना, दिनांक– 11/7/2025

प्रेषक,

चन्दन कुमार मिश्र,
उप सचिव–2 (प्रबंधन)।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता,
तिरहुत नहर अंचल, रतवारा, मुजफ्फरपुर।

विषयः– सी०डब्लू०जे०सी० संख्या–7162 / 2016 में दिनांक 28.03.2024 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायनिर्णय के अनुपालन के संबंध में।

प्रसंगः– विभागीय पत्रांक–07 / प्र०–01(पें०)–75 / 2024–3047 दिनांक 01.07.2025।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र, जो भूलवश कार्यपालक अभियंता, सोन नहर प्रमंडल, खगौल को संबोधित हो गया है, के संदर्भ में कहना है कि श्री मनोज कुमार (आई०डी० संख्या–2411), तत्कालीन तकनीकी सलाहकार, तिरहुत नहर अंचल, रतवारा संप्रति सेवानिवृत्त का अंतिम पदस्थापन कार्यालय **तिरहुत नहर अंचल, रतवारा, मुजफ्फरपुर** होने के कारण उक्त पत्र में निहित निदेश के आलोक में अग्रेत्तर कार्रवाई आपके स्तर से किया जाना अपेक्षित है।

अतएव प्रासंगिक पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि उक्त के आलोक में अविलंब अग्रेत्तर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

वर्णित मामला माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायदेश से आच्छादित है, अतः इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

अनु०–यथोक्त।

विश्वासभाजन
(हस्ताक्षर) 11/7/25
(चन्दन कुमार मिश्र)
उप सचिव–2 (प्रबंधन)

ज्ञापांकः–07 / प्र०–01(पें०)–75 / 2024– 3278 / पटना, दिनांक– 11/7/2025

प्रतिलिपिः– मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, औरंगाबाद / मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, मोतिहारी / कार्यपालक अभियंता, सोन नहर प्रमंडल, खगौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 11/7/25
उप सचिव–2 (प्रबंधन)

ज्ञापांकः–07 / प्र०–01(पें०)–75 / 2024– 3278 / पटना, दिनांक– 11/7/2025

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), वीरचन्द पटेल पथ, पटना को प्रासंगिक पत्र की छायाप्रति के साथ सूचनार्थ एवं एम०जे०सी० संख्या–3475 / 2024 में दिनांक 20.06.2025 को पारित आदेश के आलोक में श्री मनोज कुमार का पेंशन अद्यतन करने एवं तदनुरूप अन्य सेवांत लाभ में होने वाले परिवर्तन के क्रम में प्राधिकार पत्र निर्गत करने हेतु प्रेषित।

अनु०–यथोक्त।

(हस्ताक्षर) 11/7/25
उप सचिव–2 (प्रबंधन)

ज्ञापांकः–07 / प्र०–01(पें०)–75 / 2024– 3278 / पटना, दिनांक– 11/7/2025

प्रतिलिपिः– अपर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–24, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को उनके ज्ञापांक–1300 दिनांक 30.06.2025 के आलोक में संबंधित अभिलेखों की छायाप्रति के साथ सूचनार्थ एवं अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु समर्पित।

ह०/- 11/7/25

उप सचिव–2 (प्रबंधन)

ज्ञापांकः–07 / प्र०–01(पें०)–75 / 2024– 3278 / पटना, दिनांक– 11/7/2025

प्रतिलिपिः– श्री मनोज कुमार, मो०–बी–103, पी०सी०कॉलोनी, पोस्ट–लोहिया नगर, थाना–कंकड़बाग, जिला–पटना, पिनकोड–800020 को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/- 11/7/25

उप सचिव–2 (प्रबंधन)

ज्ञापांकः–07 / प्र०–01(पें०)–75 / 2024– 3278 / पटना, दिनांक– 11/7/2025

प्रतिलिपिः– कार्यपालक अभियंता, आई०टी०, सूचना प्रावैधिकी केन्द्र, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

ह०/- 11/7/25

उप सचिव–2 (प्रबंधन)

(54)

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक–07/प्र०–01(पें०)–75/2024– 3047 /पटना, दिनांक– 01/07/2025

प्रेषक,

चन्दन कुमार मिश्र,
उप सचिव–2 (प्रबंधन)।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
सोन नहर प्रमंडल, खगौल।

विषयः– सी०डब्लू०जे०सी० संख्या–7162/2016 में दिनांक 28.03.2024 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायनिर्णय के अनुपालन के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि श्री मनोज कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, सोन नहर प्रमंडल, खगौल द्वारा विभागीय अधिसूचना संख्या–1557 दिनांक 22.10.2014 से संसूचित दंड एवं उक्त दंड के विरुद्ध पुनर्विलोकन अर्जी को अस्वीकृत करने संबंधी अधिसूचना संख्या–1772 दिनांक 10.08.2015 को निरस्त करने हेतु दायर सी०डब्लू०जे०सी० संख्या–7162/2016 में दिनांक 28.03.2024 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायनिर्णय का अनुपालन नहीं होने के स्थिति में श्री कुमार द्वारा एम०जे०सी० संख्या–3475/2024 मनोज कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य दायर किया गया।

विदित हो कि उक्त एम०जे०सी० में दिनांक 20.06.2025 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी०डब्लू०जे०सी० संख्या–7162/2016 में दिनांक 28.03.2024 को पारित न्यायनिर्णय का अनुपालन किये जाने संबंधी आदेश के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या–1300 दिनांक 30.06.2025 द्वारा श्री कुमार को सभी देय परिणामी/अनुवर्ती लाभ का भुगतान किये जाने का निर्णय लिया गया है जो माननीय उच्च न्यायालय, पटना में लंबित एल०पी०ए० संख्या–685/2024 बिहार राज्य एवं अन्य बनाम मनोज कुमार में पारित न्याय निर्णय के फलाफल से आच्छादित होगा।

अतएव अनुरोध है कि उक्त न्याय निर्णय के आलोक में श्री मनोज कुमार के अद्यतन वेतनमान के अनुसार लंबित देयताओं के भुगतान के संदर्भ में अग्रेत्तर कार्रवाई करने की कृपा की जाय। विदित हो कि श्री कुमार के पक्ष में विभागीय पत्रांक–656 दिनांक 09.04.2015 एवं विभागीय पत्रांक–655 दिनांक 09.04.2015 द्वारा क्रमशः पूर्ण पेंशन एवं पूर्ण उपदान तथा आदेय दिनों के अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य नगद राशि की भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई है।

अनु०–यथोक्त।

विश्वासभाजन
Mishra 01/7/25
(चन्दन कुमार मिश्र)
उप सचिव–2 (प्रबंधन)

ज्ञापांकः–07/प्र०–01(पें०)–75/2024– 3047 /पटना, दिनांक– 01/07/2025

प्रतिलिपिः– मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Mishra 01/7/25
उप सचिव–2 (प्रबंधन)

(5)

ज्ञापांकः–07/प्र०–01(पें०)–75/2024– 3047 /पटना, दिनांक– 01/07/2025

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं एम०जे०सी० संख्या–3475/2024 में दिनांक 20.06.2025 को पारित आदेश के आलोक में श्री मनोज कुमार का पेंशन अद्यतन करने एवं तदनुरूप अन्य सेवांत लाभ में होने वाले परिवर्तन के क्रम में प्राधिकार पत्र निर्गत करने हेतु प्रेषित।

01/7/25

उप सचिव–2 (प्रबंधन)

ज्ञापांकः–07/प्र०–01(पें०)–75/2024– 3047 /पटना, दिनांक– 01/07/2025

प्रतिलिपिः– अपर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–24, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को उनके ज्ञापांक–1300 दिनांक 30.06.2025 के आलोक में संबंधित अभिलेखों की छायाप्रति के साथ सूचनार्थ एवं अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु समर्पित।

01/7/25

उप सचिव–2 (प्रबंधन)

ज्ञापांकः–07/प्र०–01(पें०)–75/2024– 3047 /पटना, दिनांक– 01/07/2025

प्रतिलिपिः– श्री मनोज कुमार, मो०–बी–103, पी०सी०कॉलोनी, पोस्ट–लोहिया नगर, थाना–कंकड़बाग, जिला–पटना, पिनकोड–800020 को सूचनार्थ प्रेषित।

01/7/25

उप सचिव–2 (प्रबंधन)

ज्ञापांकः–07/प्र०–01(पें०)–75/2024– 3047 /पटना, दिनांक– 01/07/2025

प्रतिलिपिः– कार्यपालक अभियंता, आई०टी०, सूचना प्रावैधिकी केन्द्र, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

01/7/25

उप सचिव–2 (प्रबंधन)